MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE

(A Govt. Aided UGC Autonomous Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal, M.P.)

Gola ka Mandir, Gwalior (M.P.) - 474 005, INDIA

Ph. : +91-751-2409300, Fax : +91-751-2664684, e-mail : director@mitsgwalior.in, website : www.mitsgwalior.in

WORK IS WORSHIP

Estd. 1957

क्रमाँकः मु.ऑ. / 2018 / 96 दिनाँक : 08.10.2018

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्र. एफ 5/MMVY/2017/76 भोपाल दिनांक 1/8/2017 के अनुसार, म.प्र. शासन द्वारा 2017–18 से **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** प्रांरभ की गई है उप सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एंव कौशल विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रंमाक एफ 5–6/2017/42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु शर्ते निम्नानुसार है –

•पात्रता की शर्ते –

नवीनीकरण छात्रों हेतु – नवीनीकरण छात्रों हेतु अंकसूची प्रथम वर्ष, प्रवेश पर्ची एंव फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है । (जो छात्र छात्रवृत्ति प्रथम वर्ष में प्राप्त कर चुके है)

नवीन छात्रों हेतु –

1. विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख या इससे कम हो ।
3. छात्र के पास आधार कार्ड हो।
4. विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 12 वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई/आई.एस.सी.एस.आई. द्वारा वर्ष 2018 अथवा उसके पूर्व आयोजित 12 वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक 1 लाख 50 हजार के अंतगर्त हो अथवा विद्यार्थी किसी भी शासकीय/अनुदान प्राप्त कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करता हो तो कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः छात्र/छात्रायें 15/10/2018 तक आवश्यक रूप से मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी योजना के आवेदन पत्र संस्था में जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा छात्र/छात्रायें उपरोक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रहेंगे, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वंय छात्र/छात्राओं का होगा।

•योजना की अन्य शर्ते

1. छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठयक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. विद्यार्थी द्वारा राज्य/ केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अन्तर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
3. समस्त म.प्र. के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होगें व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उंपरात म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसें अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

8.10.18

(डॉ. आर.के.पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपी :–

1. संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्राचार्य, डॉ भीमराव अम्बेडकर पालिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर।
3. डीन एकादमिक।
4. डीन स्टूडेंट वेलफेयर ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त सूचना पटल।
7. निदेशक कार्यालय।
8. रजिस्ट्रार ।
9. वैब मैनेजर,एमआईटीएस।
10. लेखा शाखा
11. प्रवेश शाखा
12. संबंधित फाईल।